संख्या-3168 /11-3-2014-795/2001

प्रेषक,

एस0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उ0 प्र0, शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 लखनऊःदिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषयः- वाणिज्य कर विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का वर्तमान में स्वीकृत 33 प्रतिशत कोटे के स्थान पर 50 प्रतिशत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स्था0-2-वा0क0अ0-सेवा नियमावली संशोधन-2013/337 दिनांक 04-08-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी के 1275 पद स्वीकृत है, जिसमें से विभागीय पदोन्नति कोटा के 50 प्रतिशत अर्थात् 638 पदों का विभाजन लिपिक, आशुलिपिक एवं संख्या संवर्ग की वर्तमान स्वीकृत जनशक्ति के आधार पर किया गया है। इनमें से किसी संवर्ग के कैडर रिव्यू होने की दशा में स्वीकृत पदों की संख्या में परिवर्तन होने पर उपर्युक्तानुसार तीनों संवर्गों में विभाजन कोटे के अनुपात में संशोधित किया जायेगा।

2. उक्तानुसार सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य कर अधिकारी के 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कोटा में लिपिक संवर्ग को 39 प्रतिशत अर्थात् 497 पद, आशुलिपिक संवर्ग को 10 प्रतिशत अर्थात् 128 पद तथा संख्या संवर्ग को 01 प्रतिशत अर्थात 13 पद प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार 50 प्रतिशत कोटे का विभाजन स्वीकृत जनशक्ति के आधार पर निम्नवत् होगाः-

संवर्ग	संवर्ग की स्वीकृत तीन वर्गों की कुल जनशक्ति	जनशक्ति में प्रतिशत	50 प्रतिशत कोटे में अनुमन्य पात्रता	विभागीय पदोन्नत कोटे में स्वीकृत 638 पदों का विभाजन
लिपिक संवर्ग	5265	77.98 प्रतिशत	38.94 पूर्णांक में 39	497
आशुलिपिक संवर्ग	1302	19.28 प्रतिशत	9.64 पूर्णांक में 10	128
संख्या संवर्ग	185	2.74 प्रतिशत	1.37 पूर्णांक में 01	13

3. कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एन0 प्रसाद)
सचिव।

shasanadesh.up.nic.in